न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : उपेन्द्र कुमार शर्मा, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 01/20 (वाद)
GCMS No. : 2020/00002

1. श्री शम्भुसिंह पिता नंगसिंह राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री मानसिंह पिता शिवसिंह राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।
2. श्री कालुसिंह पिता नंगसिंह राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।
3. श्रीमती दाखुकुंवर पत्नी नंगसिंह राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का वीरधोलिया तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जसवन्तराय चौहान, अधिवक्ता वादी।
2. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
3. श्री रेखा मीणा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2, 3

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 13.02.2024

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पालवासकलां पटवार हल्का वीरधोलिया की आराजी नम्बर 203 किता 1 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/7 हिस्सा एवं खातेदार नंगसिंह पिता वगतसिंह के नाम 1/7 हिस्सानुसार दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम अंकित हैं। खातेदार नंगसिंह पिता वगतसिंह का निधन हो चुका है जिनके विधिक वारिस मैं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 हैं। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ पेश हैं। वादी द्वारा पैतृक भूमि में घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया। प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी शम्भुसिंह ने यह वाद मौजा पालवास कि आराजी नम्बर 203 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा में वादी शम्भुसिंह के पिता नंगसिंह के नाम पर 1/7 हिस्सा तथा 1/7 हिस्सा मुझ प्रतिवादी मानसिंह के नाम पर दर्ज हैं। वादी ने अपने वाद में यह लिखा है कि हमारे पिता के भाई किशोर सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:01:24 IST
Reason: SelfAttested

जी ने उनका जो 1/7 हिस्सा था उसको उसके पिता नंगसिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग करके उनको सिपूर्द कर दिया। इस तरह रेवेन्यु रेकार्ड में नंगसिंह के नाम पर 2/7 हिस्सा दर्ज हुआ। किशोरसिंह जी ने जो 1/7 हिस्सा नंगसिंह के पक्ष में हक त्याग किया तो वह 1/7 हिस्सा नंगसिंह कि स्वअर्जित सम्पति मानी जावेगी और उस 1/7 हिस्से को नंगसिंह जी को बेचने का पूरा अधिकार था और उसी अधिकार के तहत् मुझ प्रतिवादी मानसिंह ने दिनांक 17.06.2010 को यानि करीबन् 10 साल पहले नंगसिंह जी से वों 1/7 हिस्सा 52,000/– बावन हजार रूपये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद लिया तथा नंगसिंह ने मुझ प्रतिवादी के पक्ष में रजिस्ट्री करवा दी और कब्जा सिपूर्द कर दिया तब से मुझ प्रतिवादी का 1/7 हिस्सा मेरे नाम पर खातेदार के हैसियत से दर्ज हो चुका हैं।

2. यह कि नंगसिंह ने मुझ प्रतिवादी के पक्ष में जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लिखा वह विक्रय पत्र स्वतः वाईड नहीं होकर वोइडेबल की तारीफ में आता है क्योंकि जो 1/7 हिस्सा नंगसिंह ने अपने भाई किशोरसिंह जी से जरिये हक त्याग पत्र लिया उसको उसने मुझ प्रतिवादी से पूरा बदल ले कर मेरे पक्ष में रजिस्टर्ड सेल डीड कर दिया ऐसी अवस्था में जब तक वादी उस रजिस्टर्ड सेल डीड को सिविल न्यायालय से केन्सल नहीं करवा देवे तब तक रेवेन्यु कोर्ट में वाद लाने का अधिकार नहीं है इस तरह यह वाद बार्ड बाई लॉ की तारीफ में आता हैं।
3. यह कि नंगसिंह जी ने अपने जीवनकाल में उक्त दस्तावेज को कभी चेलेन्ज नहीं किया तथा उनकी मौजूदगी में वादी ने भी इस दस्तावेज को चेलेन्ज नहीं किया अब 10 साल बाद वादी यह दावा लेकर आया है जो चलने योग्य नहीं है तथा मुझ प्रतिवादी के विरूद्व वादी को कोई कॉज ऑफ एक्शन भी पैदा नहीं होता हैं। वादी ने मुझ प्रतिवादी से अनुचित लाभ प्राप्त करने की गरज से यह गलत दावा प्रस्तुत किया जो आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. के तहत् रिजेक्ट होने योग्य हैं। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद इसी आधार पर रिजेक्ट फरमाया जावें।
4. अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं।
5. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRD 14.12.2019 Page 781 पेश कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में तथ्यों को दोहराया तथा पैतृक सम्पति

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:01:24 IST
Reason: SelfAttested

होने का कथन कर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत नजीर का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/7 हिस्सा एवं खातेदार नंगसिंह के नाम 1/7 हिस्सा व शेष अन्य खातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वादी द्वारा पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। वादग्रस्त भूमि का 2/7 हिस्सा पूर्व में वादी के पिता नंगसिंह के नाम दर्ज था, जिसे नंगसिंह द्वारा अपना 1/7 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.06.2010 से प्रतिवादी सं. 1 को विक्रय कर दिया।

8. इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 2360/2016 उत्तम बनाम शौभाग सिंह व अन्य में दिनांक 02.03.2016 को निर्णय **"इस मामले के तथ्यों पर कानून लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि 1973 में जगन्नाथ सिंह की मृत्यु पर, संयुक्त परिवार की संपत्ति, जो जगन्नाथ सिंह और अन्य सहदायिकों के हाथों में पैतृक संपत्ति थी, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत हस्तांतरित की गई। जगन्नाथ सिंह की मृत्यु**

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:01:24 IST
Reason: SelfAttested

की तिथि पर पैतृक संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह गई, और अन्य सहदायिकों और उनकी विधवा ने संपत्ति को संयुक्त किरायेदारों के रूप में नहीं बल्कि किरायेदारों के रूप में रखा। यह मामला होने के कारण, 1977 में अपीलकर्ता के जन्म की तारीख पर, उक्त पैतृक संपत्ति, संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं होने के कारण, ऐसी संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा चलने योग्य नहीं होगा। फलस्वरूप अपील लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज की जाती है।" पारित किया गया हैं। उक्त नजीर एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत नजीर उक्त प्रकरण पर चस्पा होती हैं।

9. उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादी के पिता नंगसिंह व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य पंजीकृत विक्रय पत्र सम्पादित किया हुआ है एवं उक्त विक्रय पत्र के निरस्तीकरण का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं हैं। खातेदार नंगसिंह HUF कर्ता खानदान होने से उसे अपनी भूमि का उपयोग उपभोग व जायज जरूरतो के लिए बेचने/हस्तान्तरित करने का पूरा अधिकार हैं, उसी के नाते खातेदार नंगसिंह ने अपने हिस्से दर्ज भूमि में से 1/7 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किया। प्रतिवादी सं. 1 सद्भावी क्रेता की श्रेणी में आकर पूर्ण प्रतिफल अदा कर भूमि क्रय की। वादी चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकता हैं। अतः वादी का वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत् स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आने से बार्ड बाय लॉ पाया जाता है। अतः वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:01:24 IST
Reason: SelfAttested

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास उपेन्द्र कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री शम्भुसिंह पिता नंगसिंह राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री मानसिंह पिता शिवसिंह राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।
2. श्री कालुसिंह पिता नंगसिंह राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।
3. श्रीमती दाखुकुंवर पत्नी नंगसिंह राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का वीरधोलिया तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 01/20 (वाद) GCMS No. : 2020/00002

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु उपेन्द्र कुमार शर्मा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.02.2024 को जारी की गई।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:01:24 IST
Reason: SelfAttested